

कानून के अनुसार मध्याह्न भोजन न मिलने की स्थिति में शिकायत पत्र का
एक प्रस्तावित नमूना/प्रारूप (सामान्य स्थिति में)

प्रेषक,

दिनांक:-

नाम -

ग्राम - , पंचायत -

प्रखंड - , जिला

फोन नंबर (यदि हो तो).....

सेवा में,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह

अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता,(जिला का नाम)

विषय :- विद्यालय में माह में दिन तक मध्याह्न
भोजन बच्चों को न दिए जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिकायत ।

महोदय,

हमारे गाँव के विद्यालय में बीते माह में स्कूल के
बच्चों को लगभग दिन तक मध्याह्न भोजन (दिनांक:- एवं को)
स्कूल में नहीं मिला है । यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा:- 5 -1(b) का उल्लंघन है।
कानून के नियम:-2, उपबंध:-(ग) एवं नियम:-9 के अनुसार सभी बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता
दिनांक:(अगले माह की 15 तारीख तक)..... तक मिल जाना चाहिए जो अब तक
नहीं मिला है।

महोदय, निवेदन है कि कानून के उल्लंघन के आलोक में:- विद्यालय के उल्लिखित दिनों में सभी
बच्चों को मध्याह्न भोजन न दिये जाने के बदले खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता व मुआवजा दिया जाय एवं
कानून का उल्लंघन करने के आरोप में दोषी पदाधिकारी को कानून सम्मत दंड दिया जाए ।

संलग्न :- 1) हाजिरी बही का copy (यदि हो तो) ।

2) अन्य कोई कागजात / फोटो / गवाह / इत्यादि जो आपके शिकायत की पुष्टि कर सकने में
मदद कर सकें ।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग , रांची , झारखंड

हस्ताक्षर

आवेदक -

अभिभावक (अभिभावकों) का नाम एवं हस्ताक्षर)

- 1.
- 2.
- 3.